न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 01/2016 GCMS No.–2016/00080

1. रामावतार पुत्र किस्तूरचन्द जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र रामकिशोर जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. रामजीलाल पुत्र श्रीनारायण जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
4. हरलाल पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हालवासी नाईयों का टीबा वैभव काम्पलेक्स के पास सेठी कॉलोनी, जयपुर।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. दूरभाष केन्द्र तूंगा, जरिये कन्ठि दूरसंचार अधिकारी ग्रुप एक्सचैंज, बस्सी, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत तूंगा पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर जरिये सरपंच।

.....विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व मि0स0 निल आदेश दिनांक 20.02.2022 ग्राम पंचायत तूंगा अन्तर्गत पट्टा नंबर 83 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत ने दिनांक 15.02.2003 को विपक्षी संख्या एक के हक में पट्टा जारी किया।

उपस्थितः–

1. श्री ताराचन्द मीणा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री रोहित शर्मा अधिवक्ता गैरनिगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 23.08.2022

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत तूंगा, पंचायत समिति बस्सी, हाल पंचायत समिति तूंगा के निर्णय/आदेश दिनांक 15.02.2003 की पालना में गैर निगरानीकार संख्या 1 दूरभाष केन्द्र तूंगा जरिये कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी ग्रुप एक्सचैंज बस्सी को पट्टा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.01.2016 को प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या– एक की ओर से श्री रोहित शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये एवं विपक्षी संख्या–2 ग्राम पंचायत तूंगा की ओर से उमाकान्त शर्मा सरपंच ग्रा.प. तूंगा उपस्थित आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से मिसल तलब की गई। मिसल अधीनस्थ ग्राम पंचायत के पत्रांक 104 दिनांक 12.09.2017 से प्राप्त हुई जो कि शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत तूंगा की निगरानीधीन आज्ञा व पट्टा विधि विरूद्ध पंचायत अधिनियम के प्रावधानो का खुला उल्लघंन किया गया है। ग्राम पंचायत ने आदेश दिनांक 15.02.2003 द्वारा पट्टा संख्या 83 विपक्षी संख्या 1 के हक में 333 वर्गगज का अवैध पट्टा जारी किया है। जबकि निगरानीधीन पट्टे की भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं होकर निगरानीकार की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 439/2126 रकबा 0.72 हैक्टेयर बारानी भूमि है जिसमें पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत का कोई वैध हक व अधिकार प्राप्त नहीं था। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व पटवारी हल्का से इस बाबत कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गयी कि निगरानीधीन भूमि आबादी भूमि है या नहीं। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 14.03.2000 को पट्टा जारी किये जाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली चलाई जाती है एवं दिनांक 14.03.2000 को ग्राम पंचायत द्वारा यह आदेशिका अंकित की जाती है कि मौका देखकर रिपोर्ट पेश करें एवं उसी दिन मौका रिपोर्ट कर दी जाती है एवं टेलीफोन एक्सचैंज कार्यालय हेतु पट्टा देने की सिफारिश भी कर दी जाती है जो संदेहास्पद महसूस होता है। ग्राम पंचायत द्वारा मौका रिपोर्ट दो वर्ष बाद दिनांक 19.02.2002 को दो साल पश्चात पेश की जाती है। ग्राम पंचायत ने दिनांक 14.07.2000 को अपनी पत्रावली में अंकित किया है कि मौका अवलोकन हो चुका इसलिए एक माह का उज्रदारी नोटिस जारी किया जावे एवं उसकी पालना में जो नोटिस जारी किया जाता है उसमें अंकित किया जाता है कि दिनांक 01.01.2002 से 01.02.2002 तक वाद मयाद गुजारने कोई हक उज्र नहीं किया जावेगा उक्त नोटिस सरपंच महोदय द्वारा दिनांक 25.02.2002 को जारी किया जाता है जब आपत्ति मांगने के सूचना पत्र पर हस्ताक्षर ही दिनांक 25.02.2002 को किये जाते है तो दिनांक 01.01.2002 से 01.02.2002 तक कोई व्यक्ति उज्र कैसे करेगा। प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 28.08.2000 को आधार मानकर पट्टा जारी किया जाता है लेकिन पट्टे की पत्रावली में दिनांक 28.08.2000 की ऐसी कोई आदेशिका नहीं है। राज0 पंचायती राज के नियमों के अर्न्तगत न तो मौके की वास्तविक जांच की गई, ना ही निगरानीकर्ता को किसी प्रकार का नोटिस दिया गया और पट्टा दिये जाने संबंधी सूचना गांव के किसी सार्वजनिक स्थल पर और ना ही पंचायत भवन के नोटिस पर चस्पा की गई। ग्राम पंचायत द्वारा कोई भौतिक सत्यापन अथवा वास्तविकता में कोई कार्य नहीं हुआ बल्कि कागजी कार्यवाही सिर्फ विपक्षी संख्या एक के हक में पट्टा जारी करने के उद्देश्य से की गयी है। ग्राम पंचायत तूंगा के पूर्व सरपंच द्वारा भी पट्टा निगरानीकार की खातेदारी भूमि में से दिया जाना स्वीकार किया है। विवादित पट्टा निगरानीकार की खातेदारी एवं

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)

कब्जेशुदा भूमि खसरा नंबर 439/2126 में से दिया गया एवं ग्राम पंचायत को निगरानीकार की खातेदारी भूमि में से पट्टा जारी करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत तूंगा द्वारा आदेश दिनांक 15.02.2003 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या एक के पक्ष में जारी पट्टा निरस्त किया जावे।

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या एक ने कथन किया कि ग्राम पंचायत तूंगा द्वारा जारी किया गया पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है। निगरानीकार द्वारा निगरानी 15 वर्षो बाद पेश की गयी है। निगरानीकार ने विपक्षी से अनुचित लाभ कमाने की मंशा से असत्य तथ्यो पर निगरानी पेश की है, जो खारिज किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 के हक में ग्राम पंचायत तूंगा द्वारा निगरानीधीन पट्टा पंचायत अधिनियम में निहित प्रावधानो अनुसार ही जारी किया गया है तथा पट्टा जारी किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाहियां पूरी की गई थी तथा आपत्तिया भी मांगी गई थी किन्तु निगरानीकार द्वारा तत्समय कोई आपत्तिया प्रस्तुत नहीं की गई। ग्राम पंचायत ने मिसल दायर दिनांक 14.03.2000 के द्वारा पट्टा संख्या 83 दिनांक 15.02.2003 को गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी किया गया। उक्त पट्टे की भूमि पर वर्ष 2008 में बी.एस.एन.एल. द्वारा भवन निर्माण कर लिया गया था एवं वर्ष 2009 से लगातार टेलीफोन केन्द्र तूंगा कार्यरत है जो एक निगमित निकाय है। उक्त भूमि पर निगरानीकार का कोई हक व अधिकार व कब्जा नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत तूंगा का जवाब निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार संख्या 2 के बीच दुरभी संधि को दर्शाता है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकार संख्या 1 की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 के आवेदन पत्र दिनांक 28.10.1999 पर आगे कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत तुंगा द्वारा दिनांक 19.02.2000 एवं दिनांक 14.03.2000 को निगरानीधीन भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार की गयी एवं दिनांक 20.02.2002 को ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 28.08.2000 एवं मौका रिपोर्ट अनुसार गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में 333 वर्गगज का पट्टा जारी किये जाने निर्णय लिया गया। तद्नुसार ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के विक्रय के

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

संबंध में आपत्तिया मांगने का सूचना पत्र जारी किया। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं आने पर ग्राम पंचायत तूंगा द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में दिनांक 15.03.2003 को पट्टा संख्या 83 जारी किया गया। निगरानीकर्ता का मुख्य कथन है कि ग्राम पंचायत तूंगा द्वारा निगरानीधीन पट्टा निगरानीकार की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि में से जारी कर दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15.03.2003 को पट्टा जारी किया गया एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 के जवाब अनुसार उक्त पट्टे की भूमि पर वर्ष 2008 में बी.एस.एन.एल. द्वारा भवन निर्माण किया जाकर एवं वर्ष 2009 से लगातार टेलीफोन केन्द्र तूंगा कार्यरत होना जाहिर किया है। निगरानीकर्ता ने निगरानीधीन भूमि के संबंध में कोई दस्तावेज यथा राजस्व रिकॉर्ड, तहसीलदार की रिपोर्ट, सीमा ज्ञान रिपोर्ट, पैमाईश रिपोर्ट आदि न्यायालय में पेश नहीं किए जिससे ये स्पष्ट हो कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि निगरानीकार की खातेदारी भूमि है एवं वर्तमान में बी.एस.एन.एल. का दूरभाष कार्यालय वर्ष 2009 से निगरानीधीन भूमि पर संचालित है जिससे निगरानीकार का निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा होना जहिर नहीं होता है। निगरानीकार द्वारा दूरभाष केन्द्र तूंगा द्वारा भवन निर्माण के 7 वर्ष बाद निगरानी पेश की गयी है। गैर निगरानीकार संख्या 1 को जारी पट्टे पर पंचायती राज अधिनियम के नियम 167(2) के तहत सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर है। निगरानीकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्य उचित प्रतीत नहीं होते है। ग्राम पंचायत तूंगा द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व नियमानुसार पत्रावली बनाई जाकर पंचायत राज अधिनियम 1994 में निहित विधिक प्रकिया अपनाते हुए एवं पचायती राज अधिनियम में निहित नियमों की पालना करते हुए निगरानीधीन पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर